महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या: 1907 / 79-5-2010-29 / 2009टी.सी.

प्रेषक,

डी0के0 सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक बेसिक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2010

विषय: 'बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' **(Right of Children to free and Compulsory Education Act 2009)** के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशा0पत्र संख्या-डी0ई0/2204/10-11 दिनांक 25-6-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 'बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' प्रख्यापित किया गया है जो दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हो गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त राजकीय, बेसिक शिक्षा परिषदीय, सहायता प्राप्त जू0 हा0स्कूल तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं उससे सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों आदि में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों से कोई भी शुल्क न लिया जावे। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा , उ0प्र0 लखनऊ ।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0 प्र0 ।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव ।